कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0
वि0क्रॉ0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन
कावंली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष नं0 +91-135–2763674 (एक्स–117)
टेलीफैक्सः +91-135–2760250
CIN NO: U40109UR2001SGC025867

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (PROJECT)
RURAL ELECTRIFICATION DIVISION
UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD
VICTORIA CROSS VIJETA GABAR SINGH URJA BHAWAN
KANWALI ROAD, DEHRADUN-248001
Phone No. +91-135-276374 (Ext.-117)
Telefax: + 91-135-2760250
website:- www.upcl.org

e-mail:- ee.reddn@gmail.com

62 /आर0ई0डी0(दे0)/उपाकालि0/2017–18/ **Forest** दिनांक : 25/01/2018

विषयः– दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी, विकासखण्ड–मोरी के अन्तर्गत ग्राम–कुनारा–लुदराला में 2.09 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु आर0ई0सी0 बैठक में अपर वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (केन्द्रीय) द्वारा लगाई गई आपत्तियों का प्रत्यावेदन।

संदर्भः– अपर वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी (केन्द्रीय) भारत सरकार की ई0डी0एस0 क्वेरी दिनांक 19.01.2018

अपर वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन विभाग, इन्दिरा नगर,
देहरादून
महोदय,

(FP/UK/VELEC/30475/2017)
ग्राम–कुनारा–लुदराला

कृपया उपरोक्त विषयक विद्युतीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अपर वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (केन्द्रीय), भारत सरकार के स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण सूचना
1	State Government may provide original or attested signed copy of Part I, II & V of the proposal.	बिन्दु संख्या–1 में प्रकरण में Part I, मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है एवं पार्ट–II & V सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
2	Density in Part-II is mentioned as 0.8 & 0.5 NPV calculation sheet provided for 0.7 density @ Very Dense Forest. State Government may review density as there are only two tree proposed to be felled in the proposal.	बिन्दु संख्या–2 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
3	State Government may upload recommendation of DFO at para 16 in online Part-II.	बिन्दु संख्या–3 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
4	The proposal is seeking lease for 31 years but it is seen from the "Certificate of Lease Period" (Praroop-53) that it is 'Not applicable'. Further, at para A-(x) Part-I the period is mentioned as 100 years. State Government may submit the clarification in this discrepancy.	बिन्दु संख्या–4 से सम्बन्धित सूचना का प्रत्यावेदन मूल से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (मूल रूप में संलग्न)
5	Original or attested copy of detailed note of proposal, details of alternative examined and certificate on non-availability of alternative suitable non-forest land may be submitted.	बिन्दु संख्या–5 में प्रत्यावेदन मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	Details of employment likely to be generated during the construction of road given at para-E Part-I online appears to be incorrect.	At Para-E, Part-I online, it is mentioned that: E(i) whether project is likely to generate employment ?- Yes E(ii) Permanent/Regular employment (Number of person)-0 (Zero) E(iii) Temperorary employment (Man-days)-450 It appears that above detailes are correct.
7	Original copy of SIR of DFO may be submitted.	बिन्दु संख्या–7 में SIR मूल रूप में पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्त सूचना आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
(अरूण कान्त)
अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)

...../आर0ई0डी0(दे0)/उपाकालि0/2017–18/ Forest तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः–
1. वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

(अरूण कान्त)
अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)

प्रतिवेदन

FP/UK/VELEC/30475/2017 **EDS Date 19.01.2018**

Point No. 4:-

The proposal is seeking lease for 31 years but it is seen from the "Certificate of Lease Period" (Praroop-53) that it is 'Not applicable'. Further, at para A-(x) Part-I the period is mentioned as 100 years. State Government may submit the clarification in this discrepancy.

प्रतिउत्तरः–

उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विद्युत वितरण लाईनों का निर्माण किया जाता है जिसमे विद्युत लाईनों को वन विभाग से हस्तान्तरित करने की अधिकतम समयावधि किसी प्रकार की नीति न होने के कारण ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकतम वर्ष अंकित किये गये है।

इस संदर्भ में वन विभाग से भूमि हस्तान्तरित की समयावधि हेतु दिनांक 19.11.2017 को आर0ई0सी0, देहरादून की बैठक में विद्युत लाईनों की समयावधि पर चर्चा की गई थी जिस पर विद्युत लाईनों को वन विभाग से हस्तान्तरित करने की अधिकतम समयावधि हेतु सहमति दी गई थी तदनुसार अधिकतम 100 वर्ष अंकित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0
देहरादून

प्रतिवेदन

FP/UK/VELEC/30475/2017 **EDS Date 19.01.2018**

Point No.-5

Original or attested copy of detailed note of proposal, details of alternative examined and certificate on non-availability of alternative suitable non-forest land may be submitted.

प्रतिउत्तरः–

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अर्न्तगत ग्राम कुनारा–लुदराला का विद्युतीकरण कार्य किया जाना स्वीकृत है। ग्राम–कुनारा–लुदराला, जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड–मोरी के उन अविद्युतिकृत ग्राम में सम्मिलित है जोकि विद्युत सुविधा से वंचित हैं। इसके लिए सर्वे अनुसार 11 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत लाइन का सर्वे रूट इस प्रकार रखा गया है, कि विद्युत लाइन निर्माण में कम से कम वनभूमि आये एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। उपरोक्त के संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित व समयबद्ध योजना है जिसमें ससमय पर कार्यों का सम्पन्न होना अतिआवश्यक है। उपरोक्त ग्राम का विघुतीकरण अभी तक वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण अभी तक अविघुतीकृत है, किन्तु भारत सरकार की केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है अतः वन विभाग द्वारा कार्य करने हेतु अनापत्ति दी जानी अत्यन्त आवश्यक है ताकि गांव का विघुतीकरण किया जा सके एवं बजट का सद्प्रयोग किया जा सके।

प्रस्तावित रूट के विरूद्ध विद्युत लाइनें बिछाने हेतु अन्य स्थल का भी निरीक्षण किया गया किन्तु अन्य प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग में घना जंगल, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, कठोर चट्टाने, पानी के झरने होने के कारण तथा अधिक संख्या में पेडों के कटान के कारण प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग का चयन नही किया गया एवं अन्य प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग भी पूर्ण रूप से वन आच्छादित हैं। अतः प्रस्तावित रूट ही विद्युत लाइन बिछाने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 2.09 हे0 की मांग की गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कबरिस्तान आदि नहीं पडता है।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है।

उपरोक्त कार्य के करने से एक ओर विद्युत विहीन गांव/तोक में विद्युत कि सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना क्रान्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी ।

अतः सार्वजनिक एवं जनहित के लिए 2.09 हे0 वन भूमि विद्युत लाइन बिछाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0
देहरादून

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

1. A proposal has been received by this office from **Executive Engineer (P), Rural Electrification Division, Dehradun** for diversion under FCA-1980) of **2.09** hect. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for electrification in **Village Kunara-Ludrala** widening. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated....16/12/2017
2. On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **2.09** hect.
3. The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
4. Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of : **NO**
5. Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **NO**
   i. The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction : **YES**
   ii. It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached: **NO**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal: **Recommanded**

(Signature)

Place:-...Purola..........

Date....16/12/2017

Name...आर० पी० मिश्रा

Designation...उप वन संरक्षक.......

Office Seal...अपर यमुना वन प्रभाग, पुरोला...........

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of(a) and (b) tick the optionwhich is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.